संख्या-121/2017/आर-1936/26-3-2017-4(1)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-58775/2016 दीपनारायण सिंह व 05 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-15.12.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-2178/2017 दीपनारायण सिंह व 05 अन्य बनाम श्री मनोज सिंह, निदेशक, समाज कल्याण में पारित आदेश दिनांक-17.05.2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2098/स.क./शिक्षा-अ(3/116)/2017-18, दिनांक-13.06.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-15.12.2016/17.05.2017 के अनुपालन में याची सामान्य वर्ग के 05 छात्रों की वर्ष 2013-14 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-3,53,2,00 (रूपये तीन लाख तिरपन हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची छात्र-छात्राओं का यदि कोई प्रत्यावेदन निस्तारित कराया जाना हो तो इसे सम्बन्धित प्रतिपक्षी के स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

[redacted]क्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-121/2017/आर-1936(1)/26-3-2017तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।